मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं. एवं प्रशा.)
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर
Phone No. CTI 0761-2970571, Email Id- mpez.training@gmail.com

अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत स्नातक एवं तकनीकी (डिप्लोमा) अप्रेंटिस (एक वर्षीय) के आवेदन हेतु विस्तृत विज्ञापन

मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर द्वारा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिये जिन्होंने **B.E/B.TECH (ELECTRICAL/CIVIL/IT/CSE), B.COM. एवं DIPLOMA (ELECTRICAL/CIVIL)** शासकीय मान्यता प्राप्त कॉलेज से वर्ष 2021 से 2025 के मध्य उत्तीर्ण की हो, को अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत स्नातक एवं तकनीकी अप्रेंटिस में एक वर्षीय अप्रेंटिस हेतु आवेदन आमंत्रित करती है। स्नातक एवं तकनीकी अप्रेंटिस अप्रेंटिस (एक वर्षीय) हेतु कुल रिक्तियां 70 हैं, जो कि कॉरपोरेट कार्यालय जबलपुर, क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर/सागर/रीवा/शहडोल तथा सभी वृत्त/संभागों में स्थित है। कुल रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	विषय	शैक्षणिक योग्यता	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	कुल
1.	ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	B.E/B.Tech (Electrical Engineering)	3	4	6	8	**21**
2.	ग्रेजुएट सिविल इंजीनियरिंग	B.E/B.Tech (Civil Engineering)	1	1	1	2	**5**
3.	ग्रेजुएट वाणिज्य एवं लेखा संकाय	B.Com	2	2	3	3	**10**
4.	तकनीकी (डिप्लोमा) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	Diploma (Electrical Engineering)	3	3	5	6	**17**
5.	तकनीकी (डिप्लोमा) सिविल इंजीनियरिंग	Diploma (Civil Engineering)	1	1	1	2	**5**
6.	ग्रेजुएट आई.टी./सी.एस.ई.	B.E (IT/Computer Science Engineering)	2	2	3	5	**12**
	कुल		**12**	**13**	**19**	**26**	**70**

नोटः–

1. उक्त रिक्तियां केवल म.प्र. के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए है। कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30/06/2025 शाम 5:30 बजे तक है।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर मान. उच्च न्यायालय म.प्र. के निर्णयानुसार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
3. इस वर्ष में समय–समय पर होने वाली रिक्तियों को भी इस विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों से भरा जा सकेगा।

1. आरक्षण एवं आयु में छूटः–

i. आयु संगणना तिथि : 01.04.2025

ii. सभी वर्गों में अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिये।

iii. सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी तथा अनु.जाति/अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग (नॉन–क्रीमी लेयर) एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट रहेगी।

iv. चयन प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण शिक्षुता नियम 1992 (यथा संशोधित 2019) एवं राज्य शासन के नियमानुसार रहेगा। यदि अनु.जाति/अ.ज.जा. संवर्ग में निर्धारित संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उक्त संवर्ग की रिक्तियों को आपस में बदलकर भरा जा सकेगा। तदोपरांत भी पद रिक्त रहने पर अन्य संवर्गो से भरा जा सकेगा।

v. रिक्तियों की संख्या अनंतिम है तथा समीक्षा के दौरान यह संख्या परिवर्तित हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न वर्गों/श्रेणियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या भी पुनरीक्षित हो सकती है।

vi. शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष रहेगी।

2. चयन प्रक्रियाः–

I. अर्हता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन के अनुसार प्राप्त आवेदनों की छटाई की जावेगी। तत्पश्चात, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर द्वारा अंतिम समय सीमा पूर्व प्राप्त हुए आवेदनों में B.E/B.TECH (ELECTRICAL/CIVIL/IT/CSE), B.COM एवं DIPLOMA (ELECTRICAL/CIVIL) में कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता क्रम (मेरिट आधार) में चयन किया जावेगा। समान अंक होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी। आवश्यकता होने पर वेटिंग लिस्ट से चयन किया जायेगा।

II. प्रशिक्षु का **NATS** पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन **APPROVE** के लिए उस दिनाँक पर प्रशिक्षु का उत्तीर्ण करने का दिनाँक 05 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए अन्यथा उनका रजिस्ट्रेशन **APPROVE** नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन **APPROVE** न होने की स्थिति में उनका चयन निरस्त कर दिया जाएगा।

III. उम्मीदवारों द्वारा स्नातक/डिप्लोमा हासिल किये 05 (2021 से 2025 के मध्य) वर्ष से कम हो। इस हेतु उम्मीदवार को निर्धारित प्रपत्र में घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

IV. निर्धारित समयावधि में ज्वाइन न करने पर चयन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

V. यदि किसी अभ्यर्थी ने पूर्व में मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड या अन्य प्रतिष्ठान से किसी ट्रेड में शिक्षुता प्रशिक्षण पूर्ण किया है, तो वह अभ्यर्थी समान ट्रेड में पुनः आवेदन नहीं कर सकता ।

VI. इस विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के आधार पर बनाई गई वरीयता सूची तथा प्रकाशित रिक्तियों एवं इस अवधि में समय–समय में उद्भूत होने वाली रिक्तियों की पूर्ति इस वरीयता सूची के अनुसार की जा सकेगी। प्रथम परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष अवधि तक के लिए वरीयता सूची वैध रहेगी।

3. स्टाईपेण्ड :–

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशानुसार स्टाईपेण्ड देय होगा, जो वर्तमान में निम्नानुसार हैः–

क्र.	अर्हता	मासिक स्टाईपेण्ड (रूपये में)
1.	स्नातक अप्रेंटिस	9000/–
2.	तकनीकी अप्रेंटिस	8000/–

नोटः– इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते/लाभ की पात्रता नहीं होगी।

4. चिकित्सा/स्वास्थ्य मानकः–

i. किसी भी योग्य व पात्र आवेदक का अंतिम चयन जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किये गये चिकित्सा फिटनेस के आधार पर ही किया जावेगा।

ii. दिव्यांग अभ्यर्थियों को उचित प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी अथवा जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाणपत्र जमा करना होगा। 40% अथवा उससे अधिक अक्षमता होने पर ही आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।

iii. जोखिम पूर्ण ट्रेड को छोड़कर अन्य ट्रेड में दिव्यांगों हेतु आरक्षण राज्य शासन के नियमानुसार दिया जायेगा।

मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं. एवं प्रशा.)
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर
Phone No. CTI 0761-2970571, Email Id- mpez.training@gmail.com

5. आवेदन कैसे करें:–

I. अभ्यर्थी को अप्रेंटिसशिप पोर्टल **https://nats.education.gov.in/** पर अपना पंजीयन कर अपना अप्रेन्टिस प्रोफाइल कम्प्लीट करना अनिवार्य है। बिना अप्रेन्टिस प्रोफाइल कम्प्लीट किए बिना उन्हे अप्रेन्टिसशिप का कान्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थी के पास वैध अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन संख्या होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी **(candidate)** से संबंधित समस्त जरूरी निर्देश (जैसे **Registration, Profile Completion, Apply for Establishment etc.**) अप्रेंटिसशिप पोर्टल **(https://nats.education.gov.in/assets/manual/student_manual.pdf)** पर उपलब्ध हैं, वह उन्हें देख सकते हैं।

II. योग्य इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र कंपनी की वेबसाइट **www.mpez.co.in** से डाउनलोड कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय **SPB-2** केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान नयागांव जबलपुर (म.प्र.)–482008 में दिनाँक 30/06/2025 सांय 5:30 बजे तक निम्नलिखित आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वसत्यापित छायाप्रतियों सहित डाक से अथवा स्वयं प्रस्तुत कर सकते हैं।

- पासपोर्ट साइज फोटो– 1 नग।
- 10 वीं क्लास/एस.एस.सी/मेट्रिकुलेशन की अंकसूची।
- 12 वीं की अंकसूची।
- डिग्री/डिप्लोमा का प्रमाण पत्र एवं अंतिम वर्ष की अंकसूची।
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- शारीरिक विकलांगता का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- मूल निवासी प्रमाण पत्र।
- फोटो आई.डी. का प्रमाण पत्र (आधार कार्ड/ पैन कार्ड)।
- NATS का एनरोलमेंट क्रमांक।

III. **आवेदन दिनांक 01/06/2025 से दिनांक 30/06/2025 तक भरे जा सकेंगे। इसके पूर्व आवेदित तथा पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे।**

IV. विस्तृत विवरण हेतु उम्मीदवार कंपनी की वेबसाईट **https://mpez.co.in** देख सकते है अथवा उपरोक्त कार्यालय में कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं।

V. अप्रेंटिसशिप पोर्टल **https://nats.education.gov.in/** पर पंजीकरण में किसी भी तरह की कठिनाई होने पर ई–मेलः **natssupport_student@aicte-india.org,** फोन नंबरः **+91-22-24055635 / 24053682,Toll Free No.-1800-222-060, Director of Training and Regional Central Apprenticeship Advisor, Board Of Apprenticeship Training (Western Region), 2nd Floor, Administrative Building, ATI Campus, V.N Purav Marg, Sion, Mumbai - 400022** कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।

6. महत्वपूर्ण निर्देश एवं शर्तें:–

i. अभ्यर्थी कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि वे शिक्षुता प्रशिक्षण के लिये आवश्यक योग्यता रखते हैं तथा उनके द्वारा दी गई सभी जानकारियां सही हैं।

ii. यह रिक्तियाँ केवल म.प्र. मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए है।

iii. यदि चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि अभ्यर्थी निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करते हैं और कंपनी की आवश्यकताओं पर खरे नहीं उतरते हैं अथवा उन्होंने कोई भी जानकारी छुपाई है अथवा गलत जानकारी दी है तो उनकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जावेगा एवं वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।

iv. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) तथा दिव्यांग अभ्यर्थी कृपया अपनी श्रेणी ध्यानपूर्वक भरें, चूंकि बाद में उनके द्वारा भरी गई कोई भी जानकारी किसी भी परिस्थिति में बदली नहीं जायेगी।

v. विज्ञापन के आधार पर किये गये आवेदन पर किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही का निराकरण अप्रेन्टिस एक्ट 1961 एवं इसके संशोधन के प्रावधानुसार किया जावेगा।

vi. अभ्यर्थी चयन हेतु मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर द्वारा बनाए गए एवं भविष्य में बनाए जाने वाले सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

vii. शिक्षुता प्रशिक्षण अवधि में चयनित अभ्यर्थियों को 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश, 15 दिवस चिकित्सकीय अवकाश तथा सप्ताहिक व राष्ट्रीय अवकाश की पात्रता रहेगी।

viii. दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारी क्षतिपूर्ति नियम 1923 लागू होगा।

ix. मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को बिना पूर्व नोटिस या कारण बताए, चयन प्रक्रिया को रद्द करने/सीमित करने/बढ़ाने का अधिकार होगा।

x. चयन न होने की स्थिति में उम्मीदवारों द्वारा कोई भी पत्राचार या पूछताछ स्वीकार नहीं किया जावेगा।

xi. अभ्यर्थी ध्यान रखें कि यह विज्ञापन अप्रेन्टिस एक्ट 1961 की कंडिका 22 (1) के अनुसार शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए है। मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, में नियमित नौकरी या रोजगार के लिए नहीं। प्रशिक्षण के उपरांत मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर किसी भी अभ्यर्थी को रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही इस संबंध में कोई विचार किया जाएगा तथा कंपनी में होने वाली नियमित/संविदा नियुक्तियों में किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।

xii. विज्ञापन एवं नियुक्ति से संबंधित समस्त विधिक एवं न्यायिक मुद्दों के लिए जबलपुर न्यायिक क्षेत्राधिकार लागू होगा।

अति. मुख्य महाप्रबंधक (प्रशिक्षण)
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.जबलपुर

चयनित होने पर निम्नलिखित कार्यालयों/ जिलों में स्थित मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के मुख्यालय/क्षेत्रीय/वृत्त/लेखा इकाई/संभागीय/उपसंभाग/वितरण केंद्र/उपकेंद्र/भंडार अथवा अन्य कार्यालय में शिक्षुता हेतु नियोजन प्रदान किया जावेगा। प्रशिक्षण अवधि में अभ्यर्थियों को निर्धारित कार्यालयों में पूर्ण प्रशिक्षण ग्रहण करना होगा तथा अन्य स्थानों पर स्थानांतरण नहीं किया जावेगा।

JOB LOCATIONS –

1. Corporate Office Jabalpur
2. O&M/City Circle Jabalpur
3. O&M Circle Narsinghpur
4. O&M Circle Seoni
5. O&M Circle Chhindwara
6. O&M Circle Balaghat
7. O&M Circle Mandla
8. O&M Circle Dindori
9. O&M Circle Katni
10. O&M Circle Sagar
11. O&M Circle Damoh
12. O&M Circle Panna
13. O&M Circle Chhatarpur
14. O&M Circle Tikamgarh
15. O&M Circle Rewa
16. O&M Circle Satna
17. O&M Circle Sidhi
18. O&M Circle Singrauli
19. O&M Circle Shahdol
20. O&M Circle Anuppur
21. O&M Circle Umaria

अति. मुख्य महाप्रबंधक (प्रशिक्षण)
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.जबलपुर

सत्यापित / स्वयं सत्यापित फोटो चस्पा करें

आवेदन पत्र

(स्नातक अप्रेंटिस / तकनीकी–डिप्लोमा अप्रेंटिस)

01. आवेदक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में):–

(हिन्दी में) श्री / श्रीमती / कुमारी –

(अंग्रेजी के Block letter में) SHRI/SMT/KU. -

02. आवेदक के पिता / पति का नाम –

03. लिंग (महिला / पुरुष) –

04. NATS रजिस्ट्रेशन क्रमांक –

05. संवर्ग – (अनु.जाति / अनु.जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / सामान्य) –.....

06. जन्मतिथि – अंकों में.....शब्दों में.....

07. आप किस शाखा में चयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं (निम्नलिखित में से केवल एक शाखा का चयन करें / एक से अधिक शाखा में चयन करने पर आपका आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा).

- ☐ ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
- ☐ ग्रेजुएट सिविल इंजीनियरिंग
- ☐ ग्रेजुएट वाणिज्य एवं लेखा संकाय
- ☐ तकनीकी (डिप्लोमा) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
- ☐ तकनीकी (डिप्लोमा) सिविल इंजीनियरिंग
- ☐ ग्रेजुएट आई.टी. / सी.एस. इंजीनियरिंग

08. पत्र व्यवहार का पूरा पता–

.....

गृह तहसील –जिला पिन कोड–.....

9. ई–मेल पता –मोबाइल नंबर–

10. क्या पूर्व में अप्रेंटिस एक्ट के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है ? (हाँ / नहीं)

यदि हाँ तो उसका विवरण :

क) समयावधि.....ट्रेड / शाखा.....

ख) संस्था का नाम एवं पता.....

.....

11. शैक्षणिक/तकनीकी योग्यताः–

क्र.	शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10वीं/12वीं/डिग्री/ डिप्लोमा एवं शाखा	शाला का नाम/ महाविद्यालय का नाम	शिक्षण सत्र	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत

संलग्न सहपत्र (स्वयं सत्यापित प्रतिलिपियाँ)–

01. मूल निवासी प्रमाण पत्र
02. जन्म प्रमाण पत्र/10 की अंकसूची
03. स्नातक/इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र (सभी सेमेस्टर की अंकसूची सहित)
04. जाति प्रमाण–पत्र (अनु.जाति/अनु.जनजाति/पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए)
05. आय प्रमाण पत्र (पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए)
06. पहचान पत्र (आधार कार्ड एवं पैन कार्ड)
07. NATS रजिस्ट्रेशन संख्या की छायाप्रति
08. वर्तमान की पासपोर्ट साइज स्व–सत्यापित फोटो – 1

घोषणा पत्र

मैंआत्मज.....

प्रमाणित करता हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी पूर्णरूपेण सत्य है। जानकारी असत्य/अपूर्ण पाए जाने पर म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.जबलपुर द्वारा की जाने वाली समस्त कार्यवाही के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ।

दिनाँकः–

(आवेदक के हस्ताक्षर)